

पत्रांक-पें.एवं ले./02-18/2023.....

596/पें.एवं ले.

झारखण्ड सरकार
पेंशन एवं लेखा निदेशालय
(वित्त विभाग)

प्रेषक,

निदेशक,

पेंशन एवं लेखा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/

सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड राज्य।

राँची/दिनांक 18-09-2024

विषय- वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 143/वि.पें. दिनांक- 05.09.2022 से आच्छादित तथा दिनांक- 01.12.2004 से 31.08.2022 तक नियुक्त एवं कार्यरत पदा./ कर्मी जो निर्धारित अंतिम तिथि 15.03.2023 तक पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का चयन में असमर्थ थे, को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने संबंधी विवरणी (विहित प्रपत्र में) उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग- निदेशालीय पत्रांक-1134 दिनांक- 08.12.2023 एवं 1217 दिनांक- 22.12.2023 महाशय,

उपर्युक्त बिषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 143/वि.पें. दिनांक- 05.09.2022 से आच्छादित तथा दिनांक- 01.12.2004 से 31.08.2022 तक नियुक्त एवं कार्यरत पदा./ कर्मी जो निर्धारित अंतिम तिथि 15.03.2023 तक पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का चयन करने में असमर्थ थे, को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं।

उक्त के आलोक विभिन्न विभागों/ कार्यालयों से प्राप्त हो रहे प्रस्तावों में एकरूपता नहीं रहने एवं विकल्प के चयन में असमर्थता के कारणों से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने संबंधी कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना से आच्छादन के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करते हुए निर्गत की जा रही है। पूर्व में निर्गत प्रासंगिक पत्रों को इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अनुलग्नक- मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की प्रति।

विश्वासभाजन

निदेशक

पेंशन एवं लेखा निदेशालय।

पेंशन एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1134 दिनांक - 08.12.2023 एवं 1217 दिनांक 22.12.2023 के आलोक में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादन हेतु Standard Operating Procedure (SOP) का निर्धारण :-

पेंशन एवं लेखा निदेशालीय पत्रांक-1134 दिनांक 08.12.2023 एवं 1217 दिनांक- 22.12.2023, जो सभी विभागाध्यक्ष सहित सभी जिले के उपायुक्त को प्रेषित है, से स्वतः स्पष्ट है कि दिनांक 01.12.2004 से 31.08.2022 तक नियुक्त एवं कार्यरत राज्य सरकार के कर्मियों, जो किसी कारणवश वित्त विभागीय संकल्प सं०-143 दिनांक- 05.09.2022 द्वारा राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत निर्धारित अंतिम तिथि तक विकल्प का चयन करने में असमर्थ रहे, के मामले में तार्किक विचारण हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त पत्रों में विवेचित तथ्यों के प्रतिकूल ऐसे मामलों को प्रशासी विभाग/उपायुक्त कार्यालय द्वारा सम्यक समीक्षा एवं समुचित मंतव्य के बिना ही जिला / प्रखण्ड कार्यालयों के द्वारा अग्रसारित कर प्रस्ताव (साक्ष्य रहित) उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त के कारण ऐसे पात्र पदाधिकारी/कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित करने के क्रम में पत्राचार किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे आवेदन के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा है। अतएव पत्रांक- 1134 दिनांक- 08.12.2023 के विहित प्रपत्र में उल्लेखित असमर्थता के कारणों से आच्छादित OPS से वंचित वैसे पदाधिकारी/कर्मि निम्न प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं:-

1. वैसे पदाधिकारी/कर्मि जो पत्रांक- 1134 दिनांक- 08.12.2023 के विहित प्रपत्र में उल्लेखित असमर्थता के कारणों से आच्छादित हैं , को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विधिवत् प्रस्ताव (विकल्प चयन में असमर्थता से संबंधित साक्ष्यों के साथ) उनके पदस्थापन कार्यालय द्वारा प्रशासी विभाग / उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से स्पष्ट मंतव्य/

अनुशंसा सहित पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा।

2. राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी/ कर्मियों के मामले में निम्नवत प्राधिकार के माध्यम से अनुशंसा भेजी जायेगी:-

(क) वर्ग 3 एवं 4 के कर्मियों के मामले में:-

(i) जिलास्तरीय संवर्ग के वैसे कर्मी जो जिलों एवं प्रखण्ड कार्यालयों में पदस्थापित हैं:- संबंधित जिले के उपायुक्त के माध्यम से मंतव्य/ अनुशंसा सहित भेजी जाएगी। (प्रपत्र-01)

(ii) राज्यस्तरीय संवर्ग के वैसे कर्मी जो विभाग(मुख्यालय), जिलों एवं प्रखण्ड कार्यालयों में पदस्थापित हैं:- संबंधित प्रशासी विभाग के पेंशन स्वीकृति प्राधिकार के माध्यम से मंतव्य/ अनुशंसा सहित भेजी जाएगी। (प्रपत्र-02)

(ख) वर्ग 1 एवं 2 के पदाधिकारियों के मामले में:-

(i) जिलास्तरीय/राज्यस्तरीय संवर्ग के वैसे पदाधिकारी/कर्मी जो विभाग(मुख्यालय), जिलों एवं प्रखण्ड कार्यालयों में पदस्थापित हैं- संबंधित प्रशासी विभाग के पेंशन स्वीकृति प्राधिकार के माध्यम से मंतव्य/ अनुशंसा सहित भेजी जाएगी। (प्रपत्र-02)

3. प्रशासी विभाग / उपायुक्त कार्यालय द्वारा उनके अधीनस्थ जिला/ प्रखण्ड कार्यालयों से प्राप्त ऐसे मामलों का पत्रांक- 1134 दिनांक- 08.12.2022 एवं पत्रांक- 1217 दिनांक- 22.12.2023 द्वारा निर्दिष्ट दिशानिदेश के अनुरूप पात्रता एवं उससे संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों इत्यादि की सम्यक/गहन जाँच कर अपने मंतव्य के साथ अनुशंसा सहित प्रस्ताव पेंशन एवं लेखा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अपात्र/ अयोग्य मामलों को अपने स्तर से अस्वीकृत करने की कार्रवाई करते हुए इसकी लिखित सूचना पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराएँगे।

4. पेंशन एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1134 दिनांक - 08.12.2023 के विहित प्रपत्र में उल्लेखित असमर्थता के कारणों यथा:-





- (a) चिकित्सारत रहने ।
- (b) न्यायिक विचाराधीन रहने ।
- (c) अवकाश में रहने ।
- (d) DDO द्वारा अग्रसारित नहीं किए जाने ।
- (e) DDO code से payee id या GPF No. remove नहीं किए जाने के कारण ।
- (f) PRAN No. आवंटित नहीं रहने ।
- (g) वेतन पुर्जा (राजपत्रित) निर्गत नहीं रहने ।
- (h) निलंबित रहने के कारण ।
- (i) नयी सेवा में नियुक्ति के क्रम में पदस्थापन में विलंब ।
- (j) सेवा विनियमन नहीं हुए होने ।
- (k) बाह्य सेवा में रहने ।
- (l) सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के फलस्वरूप पुनर्नियुक्ति ।

से उद्भूत मामलों के निष्पादन हेतु पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची सक्षम प्राधिकार होगा, परन्तु यदि उपरोक्त अंकित असमर्थता के कारणों के अलावा अन्य कारण से अथवा नीतिगत कारणों से उत्पन्न मामलों के निष्पादन हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

5. तत्पश्चात पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा उपसचिव, (पी.एम.यू. कोषांग) के पीत पत्र संख्या 44 दिनांक 07/02/2024 के आलोक में आवेदक को पुरानी पेंशन योजना के तहत नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि संख्या आवंटित किये जाने के संदर्भ में शेष कार्रवाई की जायेगी ।

6. इस निरूपित SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) में उल्लेखित तथ्यों में किसी प्रकार की भ्रान्ति या विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में स्पष्टीकरण(clarification) निर्गत करने के लिए पेंशन एवं लेखा निदेशालय, झारखण्ड, राँची सक्षम प्राधिकार होगा।





प्रपत्र-01

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-143/वि.पं. दिनांक-05.09.2022 से आच्छादित तथा दिनांक 01.12.2004 से 31.08.2022 तक नियुक्त एवं कार्यरत पदा./कर्मों जो निर्धारित अंतिम तिथि- 15.03.2023 तक पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का चयन करने में असमर्थ थे, को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु निर्गत SOP के अनुरूप विवरणी-

1	नाम	
2	वर्तमान सेवा का नाम एवं पदनाम	
3	वर्तमान सेवा में योगदान की तिथि	
4	विभाग का नाम	
5	पूर्व सेवा का नाम एवं पदनाम	
6	PRAN No.	
7	दिनांक 15.03.2023 तक पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का चयन नहीं कर सकने का कारण - 1.चिकित्सारत रहने । 2.न्यायिक विचाराधीन । 3.अवकाश में रहने । 4.DDO द्वारा अग्रसारित नहीं किए जाने । 5.DDO code से payee id या GPF No. remove नहीं किए जाने के कारण । 6.PRAN No. आवंटित नहीं रहने । 7.वेतन पुर्जा निर्गत नहीं रहने । 8.निलंबित रहने के कारण । 9.नयी सेवा में नियुक्ति के क्रम में पदस्थापन में विलंब । 10.सेवा विनियमन नहीं हुए होने । 11.बाह्य सेवा में रहने । 12.सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के फलस्वरूप पुनर्नियुक्ति ।	
8	कंडिका-7 पर मंतव्य सहित अनुशंसा	

(हस्ताक्षर)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

(हस्ताक्षर)

उपायुक्त

प्रपत्र-02

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-143/वि.पें. दिनांक-05.09.2022 से आच्छादित तथा दिनांक 01.12.2004 से 31.08.2022 तक नियुक्त एवं कार्यरत पदा./कर्मों जो निर्धारित अंतिम तिथि- 15.03.2023 तक पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का चयन करने में असमर्थ थे, को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु निर्गत SOP के अनुरूप विवरणी-

1	नाम	
2	वर्तमान सेवा का नाम एवं पदनाम	
3	वर्तमान सेवा में योगदान की तिथि	
4	विभाग का नाम	
5	पूर्व सेवा का नाम एवं पदनाम	
6	PRAN No.	
7	दिनांक 15.03.2023 तक पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का चयन नहीं कर सकने का कारण - 1.चिकित्सारत रहने । 2.न्यायिक विचाराधीन । 3.अवकाश में रहने । 4.DDO द्वारा अग्रसारित नहीं किए जाने । 5.DDO code से payee id या GPF No. remove नहीं किए जाने के कारण । 6.PRAN No. आवंटित नहीं रहने । 7.वेतन पुर्जा निर्गत नहीं रहने । 8.निलंबित रहने के कारण । 9.नयी सेवा में नियुक्ति के क्रम में पदस्थापन में विलंब । 10.सेवा विनियमन नहीं हुए होने । 11.बाह्य सेवा में रहने । 12.सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के फलस्वरूप पुनर्नियुक्ति ।	
8	कंडिका-7 पर मंतव्य सहित अनुशंसा	

(हस्ताक्षर)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

(हस्ताक्षर)

पेंशन स्वीकृति प्राधिकार